न्यायालय–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।

उपस्थितः रणजीत कुमार, (एच0जे0एस0)
जे0ओ0 कोड–यू.पी. 6509

विशेष सत्र परीक्षण सं0–185/2003

CNR No. UPJP010002792003

उ0प्र0 राज्य..... ..... **.....अभियोगी**

बनाम

1. उदल पटेल पुत्र जगराम पटेल
2. मनीराम पटेल पुत्र नोहर पटेल **(दौरान विचारण मृतक)**
3. दीनानाथ पटेल पुत्र जगराम पटेल
निवासीगण सेहरा, थाना रामपुर, जिला जौनपुर।

.....अभियुक्तगण

मु0अ0सं0–सी–1/2003
धारा–323/34, 504, 506 भा0दं0सं0
एवं 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
थाना–रामपुर, जिला जौनपुर।

निर्णय

1. मु0अ0सं0 सी–1/2003, अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, थाना रामपुर, जिला जौनपुर के प्रकरण में पुलिस द्वारा अभियुक्तगण मनीराम पटेल व दीनानाथ पटेल के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 1/2003, दिनांकित 06.04.2003 तथा अभियुक्त उदल पटेल के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र सं0 1ए/2003, दिनांकित 10.04.2003 पर विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त प्रकरण सत्र सुपुर्द होने के पश्चात् विशेष सत्र परीक्षण सं0 185/2003, राज्य बनाम उदल पटेल एवं अन्य में विचारण कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा जगराम द्वारा न्यायालय में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह अनुसूचित जाति के अंतर्गत चमार है एवं अभियुक्तगण जाति के पटेल(सवर्ण) हैं। घटना दिनांक 08.05.2001 को समय करीब 6 बजे सुबह घटना स्थल रामपुर निगोह मार्ग पर आराजी सं0 127/0–13 डि0 है। आराजी सं0 127/0–13 डि0 में उसके गांव के उदल, दीनानाथ व मनीराम जबरदस्ती उसकी उक्त जमीन में गोमटी व छप्पर रख रहे थे, उसने जाकर मना किया तो उदल के ललकारने पर कि मारो चमार साले को, चमाइन बनाकर रख दो, इस पर

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.13 16:51:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मुल्जिमान उपरोक्त लाठी डण्डा व लात मुक्का से उसको मारे, मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां भी दिये। घटना के समय राजाराम, प्यारेलाल, सोमारू व अन्य बहुत से लोग मौजूद थे, घटना देखे व बीच बचाव किये। मुल्जिमान उपरोक्त उसको जान से मारने की धमकी दिये कि अगर मेरे खिलाफ कोई कार्यवाही करोगे तो जान से मारकर खत्म कर देंगे।

3. वादी मुकदमा जगराम के उक्त प्रार्थनापत्र के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय आदेश दिनांकित 08.06.2001 के अनुक्रम में थाना रामपुर, जिला जौनपुर पर अभियुक्तगण मनीराम पटेल, दीनानाथ पटेल एवं उदल पटेल के विरूद्ध मु0अ0सं0 सी–1/2003 धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ।

4. प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा वादी व गवाहान के बयान लिये गये, घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण मनीराम पटेल, दीनानाथ पटेल एवं अभियुक्त उदल पटेल के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत पृथक–पृथक आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये गये, जिन पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

5. धारा 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन के उपरान्त प्रकरण अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय होने के कारण दिनांक 10.11.2003 को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर द्वारा सत्र सुपुर्द किया गया और सत्र सुपुर्द होने के पश्चात् प्रकरण विशेष सत्र परीक्षण संख्या 185/2003 स्टेट बनाम उदल एवं अन्य के रूप में पंजीकृत हुआ।

6. न्यायालय द्वारा दिनांक 10.06.2004 को अभियुक्तगण उदल पटेल, मनीराम पटेल एवं दीनानाथ पटेल के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार किया गया एवं विचारण की मांग की गई।

7. दौरान विचारण अभियुक्त मनीराम पटेल की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध आपराधिक वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है। वर्तमान में शेष अभियुक्तगण उदल पटेल एवं दीनानाथ पटेल का विचारण चल रहा है।

8. विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं–

साक्षी क्रमांक	**साक्षी नाम**	**साक्षी का विवरण**
पी0डब्लू0–1	जगराम	तथ्य/चोटहिल साक्षी
पी0डब्लू0–2	साहबलाल	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
पी0डब्लू0–3	संजय कुमार सिंह	चिकित्सक साक्षी
पी0डब्लू0–4	हेड कां0 सच्चिदानंद यादव	औपचारिक साक्षी

9. अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र साबित कराये गये हैं–

प्रदर्श– क्रमांक	**विवरण**	**साबितकर्ता साक्षी**

प्रदर्श क–1	प्रार्थनापत्र पुलिस अधीक्षक	पी0डब्लू0–1
प्रदर्श क–2	प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0	पी0डब्लू0–1
प्रदर्श क–3	इंजरी रिपोर्ट चोटहिल जगराम	पी0डब्लू0–3
प्रदर्श क–4	चिक एफ0आई0आर0	पी0डब्लू0–4
प्रदर्श क–5	कायमी जी0डी0 कार्बन प्रति	पी0डब्लू0–4
प्रदर्श क–6	नक्शा नजरी	पी0डब्लू0–4
प्रदर्श–क–7	आरोप पत्र विरूद्ध मनीराम एवं दीनानाथ	पी0डब्लू0–4
प्रदर्श–क–8	आरोप पत्र विरूद्ध उदल	पी0डब्लू0–4

10. दिनांक 11.03.2026 को अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को असत्य बताते हुए विवेचक द्वारा गलत आरोप पत्र प्रेषित किया जाना बताया, और अभियोजन साक्षी सं0 1 व 2 द्वारा गलत बयान दिया जाना बताया, और अभियोजन साक्षी सं0 3 व 4 द्वारा गलत ढंग से प्रपत्र साबित किया जाना बताया, और मुकदमा रंजिशन चलना बताया, सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया।

11. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करने वास्ते आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व होता है।

12. उक्त दायित्व निर्वहन के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से परीक्षित चोटहिल साक्षी पी0डब्लू0–1 जगराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह जाति का चमार है। इस मुकदमे के मुल्जिमान उदल, दीनानाथ, मनीराम जाति के पटेल हैं। यह सभी लोग उसके गांव के हैं। आराजी सं0 127/–13 डि0 ग्राम सेहरा में रोड पर स्थित है, उसी जमीन पर उपरोक्त तीनों मुल्जिमान गोमटी व छप्पर रखकर कब्जा करना चाह रहे थे, जब उसे पता चला तो मौके पर गया और जमीन पर कब्जा करने से मना किया, तो उदल ने ललकारा कि मारो साले को, चमाइन बना दो। इसी पर सभी मुल्जिमान लाठी डण्डा, लात मुक्का से मारने लगे, व मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दिये। इस घटना में उसे चोट लगी थी, इस घटना के गवाह राजाराम, प्यारेलाल, सोमारू व बहुत से लोगों ने देखा व बीच बचाव किया। इस घटना के बावत दरखास्त उसने थाने पर दिया था, कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा अपनी चोटों का डॉक्टी मुआयना कराकर पुलिस अधीक्षक को दरखास्त दिया था, जिसकी कॉपी पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसे देखकर साक्षी ने अपनी हस्ताक्षर की शिनाख्त किया और प्रदर्श–क–1 के रूप में साबित किया। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया, तो उसने धारा 156(3) दं0प्र0सं0 दरखास्त न्यायालय में दिया, तब कार्यवाही हुई। प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 शामिल पत्रावली को देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया और प्रदर्श–क–2 के रूप में साबित किया।

13. अभियोजन की ओर से अन्य साक्षी साहबलाल को पी0डब्लू0–2 के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिस साक्षी का मुख्य परीक्षण दिनांक 30.08.2019 को पूर्ण होने के उपरान्त उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा तत्दिनांक को ही आंशिक प्रतिपरीक्षा की गयी है, और

उक्त साक्षी के शेष प्रतिपरीक्षण हेतु पत्रावली अग्रिम तिथि के लिए नियत की गयी है। कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी उक्त साक्षी को शेष प्रतिपरीक्षा हेतु न्यायालय समक्ष उपस्थित नहीं कराया गया, और इस सम्बन्ध में दिनांक 25.02.2026 को अभियोजन की ओर से इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा वर्ष 2019 से लम्बित है, परन्तु उक्त साक्षी उपस्थित नहीं आ रहा है, और साक्षी के सम्बन्ध में थाना सरपतहां से इस आशय की आख्या प्राप्त है कि वह गांव छोड़कर नेपाल चला गया है, अतः उक्त साक्षी की जिरह समाप्त कर अन्य गवाह को परीक्षित कराया जावे। अभियोजन के उक्त आशय के कथन के अनुक्रम में उक्त साक्षी के समक्ष न्यायालय उपस्थित न आने के दृष्टिगत बचाव पक्ष की प्रतिपरीक्षा पूर्ण नहीं हुई। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी पी0डब्लू0–2 की प्रतिपरीक्षा पूर्ण नहीं हुई है, जिस तथ्य के दृष्टिगत उक्त साक्षी का साक्ष्य ग्राह्य एवं पठनीय नहीं है।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू0–3 डॉ0 संजय कुमार सिंह, चीफ फार्मासिस्ट ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह न्यायालय के सम्मन पर द्वितीयक साक्ष्य हेतु न्यायालय जिला चिकित्सालय से आया है तथा अपने साथ प्राइवेट मेडिकोलीगल रजिस्टर साथ लाया है, जो मेडिकल अफसर द्वारा प्रमाणित है तथा इस पर पृष्ठांकन अंकित है, जो क्रमशः 1801 से 1900 तक अंकित है। इस रजिस्टर के पृष्ठ सं0 1859 पर चोटहिल जगराम के शरीर पर आयी हुई चोटों का उल्लेख है। चोटहिल जगराम के शरीर में आयी चोटों का परीक्षण दिनांक 08.05.2001 को 1:05 पी0एम0 पर जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टरी एजाज अहमद द्वारा किया गया था। डॉक्टर ने चोटहिल जगराम के शरीर पर कुल 3 चोटों का उल्लेख किया है। डॉक्टर एजाज अहमद वर्ष 2001 में जिला चिकित्सालय जौनपुर में तैनात थे। डॉक्टर एजाज अहमद की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी उसे पूर्ण जानकारी है। चोटहिल जगराम की मूल आघात आख्या व उसके साथ लायी गयी प्राईवेट मेडिकोलीगल रजिस्टर के क्रमांक 1859 पर अंकित कार्बन प्रति को देखने में तथा दोनों से मिलान करने पर पूर्ण समानता है। इस समानता के आधार पर उसने पत्रावली में संलग्न आघ ात आख्या जगराम की सत्य पुष्टि किया। मूल आघात आख्या पर साक्षी ने चोटहिल जगराम के अंगूठे का निशान अंकित होना कहा, जिसे डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होना, तथा उस पर अंकित हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 08.05.2001 अंकित होना कहा। दोनों के समानता के आधार पर साक्षी ने इंजरी रिपोर्ट की सत्यता की पुष्टि की और प्रदर्श–क–3 के रूप में साबित किया।

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–4 हेड कां0 सच्चिदानन्द यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह थाना रामपुर में बतौर पैरोकार कार्यरत है, मु0अ0सं0 01/2003 धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1) (x) एस०सी०/एस०टी० एक्ट का मुकदमा अभियुक्त उदल, मनीराम पटेल व दीनानाथ पटेल के विरूद्ध अंकित हुआ था, जो थाने के अपराध रजिस्टर में अंकित है। अपराध सं0 01/03 में एफ0आई0आर0 लेखक राजेन्द्र प्रसाद दूबे के विरूद्ध साक्ष्य हेतु कई बार सम्मन भेजा गया, किन्तु उनका कोई पता ज्ञात नहीं होने व मुकदमा काफी प्राचीन होने के कारण वह अपना द्वितीयक साक्ष्य दे रहा है। थाने के अपराध रजिस्टर अनुसार थाना रामपुर में अंकित एफ0आई0आर0 लेखक राजेन्द्र प्रसाद दूबे द्वारा दिनांक 02.02.2003 को अंकित किया

गया है, जिसे देखकर साक्षी ने शिनाख्त किया और प्रदर्श–क–4 के रूप में साबित किया। उक्त राजेन्द्र प्रसाद दूबे द्वारा अपराध सं0 01/2003 की जी0डी0 भी तैयार की गयी थी। उक्त दोनों प्रपत्रों पर राजेन्द्र प्रसाद दूबे के हस्ताक्षर व दिनांक 02.02.2003 अंकित है, और यही अंकन थाने के अपराध रंजिस्टर में भी है, जिसके आधार पर साक्षी ने जी0डी0 को प्रदर्श–क–5 के रूप में साबित किया। उक्त अपराध सं0 की विवेचना तत्कालीन सी0ओ0 मड़ियाहूं राजेन्द्र प्रसाप सिंह द्वारा की गयी थी, और विवेचनोरान्त उन्होने घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार कर आरोप पत्र के साथ प्रेषित किया है, जो पत्रावली में संलग्न है, जिस पर सी0ओ0 नरेन्द्र प्रसाद सिंह अंकित है, तथा उस पर उनके हस्ताक्षर व दिनांक 03.02.2003 भी अंकित है, जो उक्त वाद से ही संबंधित है। साक्षी ने नक्शा नजरी को देखकर प्रदर्श–क–6 के रूप में साबित किया। सी0ओ0 नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा विवेचनोपरान्त उक्त अपराध संख्या में आरोप पत्र क्रमशः दिनांक 06.04.2003 को अभियुक्तगण मनीराम एवं दीनानाथ पटेल तथा दिनांक 10.04.2003 को अभियुक्त उदल पटेल के विरूद्ध0 धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1) (x) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में प्रेषित किया। साक्षी ने आरोप पत्र शामिल पत्रावली को देखकर सी0ओ0 मड़ियाहूं एन0पी0 सिंह के लघु हस्ताक्षर की शिनाख्त किया और क्रमशः प्रदर्श–क–7 व प्रदर्श–क–8 के रूप में साबित किया।

16. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया।

17. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत उपरोक्त समस्त साक्ष्य के आधार पर यह स्थापित है कि अभियुक्तगण उदल पटेल, दीनानाथ पटेल ने सहअभियुक्त मनीराम पटेल(मृतक) के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा जगराम को लाठी डण्डा व लात मुक्का से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया जाना तथा अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया जाना स्थापित है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित समस्त आरोप साबित होने के दृष्टिगत उन्हें दोषसिद्ध किया जावे।

18. उक्त के विपरीत बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किसी भी अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप कत्तई साबित नहीं होता है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास हैं, जिस कारण कोई भी साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिस तथ्य के दृष्टिगत भी अभियोजन कथानक पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। बचाव पक्ष का यह भी तर्क है कि अभियोजन साक्ष्य विश्वसनीय न होने के दृष्टिगत समस्त अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

<u>निष्कर्ष</u>

19. प्रस्तुत सत्र परीक्षण के निर्णयन हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दुओं पर निष्कर्ष दिया जाना है–

(i) क्या अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा लाठी–डण्डा व लात मुक्का से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई?

(ii) क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गाली देकर प्रकोपित किया गया व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया?

(iii) क्या अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा, जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, का अपमान करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान पर साशय अपमानित किया गया?

<u>अवधार्य बिन्दु सं0 (i) का निस्तारण–</u>

20. यह अवधार्य बिन्दु अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा जगराम को लाठी डण्डा व लात मुक्का से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किये जाने के संबंध में हैं।

21. इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रदर्श–क–2 में यह तथ्य आया है कि वादी मुकदमा की उक्त आराजी सं0 127/0–13 डि0 में उसके गांव के उदल, दीनानाथ व मनीराम जबरदस्ती गोमटी एवं छप्पर रख रहे थे, जिससे मना करने पर उदल द्वारा यह ललकारने पर कि मारो चमार साले को चमाइन बनाकर रख दो, मुल्जिमान लाठी डण्डा व लात मुक्का से उसको मारे। उसने उसी दिन सदर अस्पताल, जौनपुर आकर अपनी चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया।

22. इस सम्बन्ध में चोटहिल साक्षी/वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 जगराम द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि आराजी सं0 127/–13 डि0 ग्राम सेहरा में रोड पर स्थित है, उसी जमीन पर उपरोक्त तीनों मुल्जिमान गोमटी व छप्पर रखकर कब्जा करना चाह रहे थे, जब उसे पता चला तो मौके पर गया और जमीन पर कब्जा करने से मना किया, तो उदल ने ललकारा कि मारो साले को, चमाइन बना दो। इसी पर सभी मुल्जिमान लाठी डण्डा, लात मुक्का से मारने लगे, व मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दिये। उसने अपनी चोटों का डॉक्टी मुआयना कराकर पुलिस अधीक्षक को दरखास्त दिया था।

23. बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि मुल्जिमान उदल, दीनानाथ, मनीराम के हाथों में डण्डा नहीं था, डण्डा उदल के पास था, मनीराम हंसिया लिए थे, दीनानाथ ने हाथ लात से मारा था। मनीराम हसुला से मार रहे थे, उसे जहां मिट्टी पटी थी, वहीं मारा था। साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि सड़क पर लात मुक्का व लाठी डण्डा से मारा था। उसे उदल हाथ पकड़कर सड़क पर खींचे थे। घिसराने से उसके दोनों पैर घिघोर गये थे। घिघोरने पर खून नहीं बहा था।

24. पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा एक चोटहिल साक्षी है। चोटहिल साक्षी के सम्बन्ध में विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि ऐसे साक्षी के साक्ष्य का विशेष महत्व होता है और सामान्यतः चोटहिल के कथन बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति निश्चित है। इस सन्दर्भ में विधि निर्णय **उ0प्र0 राज्य बनाम नरेश एवं अन्य 2011 (2) ए0सी0आर0 1190 (एस0सी0)** उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह

व्यवस्था दी गयी है कि चोटग्रस्त साक्षी के साक्ष्य को सम्यक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह एक मुद्रांकित गवाह है और उसकी उपस्थित संदिग्ध नहीं मानी जा सकती। ऐसे साक्षी का कथन आमतौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है, और यह असंभाव्य है कि किसी और को फंसाने के लिए उसने वास्तविक आक्रमणकारी को बख्श दिया है। चोटहिल साक्षी के अभिसाक्ष्य की अपनी प्रासंगिकता होती है, अपना प्रभाव होता है, क्योंकि उसे घटनास्थल पर घ ाटना के समय चोटें आई हैं, जो उसके इस कथन का समर्थन करता है कि वह घटना के समय मौजूद था। इसलिए चोटहिल साक्षी के अभिसाक्ष्य का कानून में एक विशेष दर्जा है, अतः चोटहिल साक्षी के साक्ष्य पर भरोसा करना चाहिए, जब तक कि तात्विक विरोधाभास एवं विसंगतियों के आधार पर उसका साक्ष्य अस्वीकार योग्य न हो।

25. चोटहिल साक्षी/वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए स्पष्ट रूप से अभियुक्तगण द्वारा लाठी डण्डा, लात मुक्का आदि से मारा–पीटा जाना कहा है, तथा बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में भी साक्षी द्वारा उक्त आशय के कथन किये गये हैं। अभियोजन साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे साक्षी की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिन्ह उठता हो। जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है, चोटहिल साक्षी के सम्बन्ध में विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि ऐसे साक्षी मुद्रांकित साक्षी होते हैं, जिनकी घटनास्थल पर उपस्थिति स्थापित मानी जाती है। वर्तमान मामले में भी चोटहिल साक्षी/वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 की घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थिति स्थापित है। साक्षी के कथनानुसार अभियुक्तगण उसके गांव के हैं, और अभियुक्तगण को साक्षी पूर्व से ही भली–भाँति जानता है, ऐसे में अभियुक्तगण की पहचान भी सुनिश्चित है।

26. इंजरी रिपोर्ट प्रदर्श–क–3 अनुसार चोटहिल जगराम को कुल तीन चोटें आना उल्लिखित हैं, जिनमें एक चोट कन्ट्यूजन एवं शेष दो चोटें दर्द की शिकायत होना अंकित है, तथा चिकित्सक की राय में चोटें किसी सख्त कुन्द आला से पहुंचाया जाना एवं चोटों की प्रकृति ताजी बतायी गयी है। चिकित्सक साक्षी पी0डब्लू–3 संजय कुमार सिंह, चीफ फार्मासिस्ट द्वारा उक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श–क–3 के रूप में साबित किया गया है। इस प्रकार चोटहिल जगराम को कुल तीन चोटें आईं थी, और चोटहिल का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 08.05.2001 को समय 01.05 पी0एम0 अर्थात् घटना के ही दिन किया गया है, तथा चिकित्सक की राय में चोटों की प्रकृति ताजी बतायी गयी है। इस प्रकार इंजरी रिपोर्ट यह स्थापित होता है कि घटना के समय वादी मुकदमा के शरीर पर चोटें कारित की गयी हैं, जिससे अभियोजन कथानक सम्पुष्ट होता है।

27. प्रस्तुत प्रकरण के चोटहिल द्वारा अपने सशपथ बयान में अभियुक्तगण द्वारा उसको लाठी डण्डा एवं लात मुक्का आदि से चोटें पहुंचाये जाने का कथन किया गया है, उक्त आशय के कथन साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में भी किये हैं, जिससे तथ्य के दृष्टिगत भी अभियोजन कथानक को समर्थन मिलता है, तथा यह स्थापित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा की गयी मार–पीट से चोटहिल को चोटें आई हैं। चोटहिल साक्षी द्वारा अपने बयान में किये गये कथनों की पुष्टि इंजरी रिपोर्ट से भी होती है, तथा यह स्थापित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ की गयी मार–पीट से ही चोटहिल को चोटें आई हैं।

28. बचाव पक्ष का यह तर्क है कि साक्षी के बयानों में काफी विरोधाभास हैं, घटना के सम्बन्ध में उसके द्वारा बढ़ा–चढ़ाकर कथन किया गया है, जिस कारण अभियोजन साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं हैं, और अविश्वसनीय साक्षी के साक्ष्य के आधार पर घटना पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और घटना संदेहास्पद हो जाती है। बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है, क्योंकि साक्षी के कथनों में मामूली विरोधाभास स्वाभाविक है। जब घटना के काफी समय पश्चात् साक्षी न्यायालय के समक्ष परीक्षित होता है, जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है, तब न तो यह अप्राकृतिक है और न ही अप्रत्याशित है कि अभियोजन साक्षी के कथनों में मामूली अंतर आ सकते हैं।

29. उक्त के सन्दर्भ में **विधि निर्णय रमेश बनाम उ0प्र0 राज्य (2009) 15 एस0सी0सी0 513** सुसंगत है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन साक्षी के अभिसाक्ष्य में मामूली विरोधाभास होंगे ही, और वास्तव में ऐसे विरोधाभास साक्षी की सत्यवादिता का समर्थन करते हैं।

30. इसी प्रकार एक अन्य विधि निर्णय **उ0प्र0 राज्य बनाम नरेश एवं अन्य 2011 (2) ए0सी0आर0 1190 (एस0सी0)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि सभी आपराधिक मामलों में साक्षी के प्रेक्षण में साधारण त्रुटियों, अर्थात् समय व्यतीत होने के कारण याददाश्त में त्रुटि अथवा घटना के समय सदमा अथवा आतंक की मनोस्थिति के कारण साक्षी के साक्ष्य में साधारण विसंगतियाँ होंगी ही।

31. माननीय उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के दृष्टिगत चोटहिल साक्षी के बयान में सूक्ष्म विरोधाभास होने मात्र के आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। वर्तमान मामले में अभियोजन की ओर से परीक्षित उपरोक्त चोटहिल साक्षी के साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है, जो भी विरोधभास हैं, वे बहुत ही मामूली एवं सूक्ष्म प्रकृति के हैं, जिससे चोटहिल साक्षी की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्नचिन्ह उत्पन्न नहीं होता है।

32. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से एक मात्र साक्षी को परीक्षित कराया गया है, और चोटहिल साक्षी के अलावा आस–पड़ोस के किसी व्यक्ति अथवा अन्य स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है, ऐसे में एक मात्र अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक स्थापित नहीं माना जा सकता है।

33. बचाव पक्ष के उक्त तर्क में कोई बल नहीं है क्योंकि विधि निर्णय **लल्लू मांझी बनाम झारखण्ड राज्य ए0आई0आर0 2003 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 854** में यह अवधारित किया गया है कि यदि साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय और स्वाभाविक है, तो एकमात्र साक्षी की साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है।

34. यह स्थापित विधि है कि किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा/चोटहिल स्वाभाविक रूप से घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित रहा है, जिस दौरान अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षी स्वाभाविक साक्षी है। जहां तक बचाव पक्ष का आस–पड़ोस के किसी व्यक्ति अथवा स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित न कराये जाने का तर्क है, इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि आज के सामाजिक

परिवेश में सामान्य जन में साक्षी बनने के प्रति उदासीनता होती है। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़ित वादी मुकदमा पी0डब्लू0–1 के पूर्णरूपेण विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मार–पीट किया जाना स्थापित हुआ है। चोटहिल के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से भी अभियोजन कथानक की पुष्टि हुई है। ऐसे में किसी अन्य साक्षी को परीक्षित न कराये जाने से अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है।

35. उपरोक्त परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण उदल पटेल एवं दीनानाथ पटेल द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा को लाठी डण्डा व लात मुक्का से मार–पीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323/34 भा0दं0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है।

तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं0 (i) निस्तारित किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु सं0 (ii) का निस्तारण–</u>

36. यह अवधार्य बिन्दु अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गालियाँ देकर प्रकोपित किये जाने एवं भयाक्रान्त करने के उद्देश्य से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने के संबंध में है।

37. जहां तक अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 504 व 506 भा0दं0सं0 का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 प्रदर्श–क–2 में यह तथ्य आया है कि घटना दिनांक 08.05.2001 को समय करीब 6 बजे सुबह घटना स्थल रामपुर निगोह मार्ग पर आराजी सं0 127/0–13 डि0 है। आराजी सं0 127/0–13 डि0 में उसके गांव के उदल, दीनानाथ व मनीराम जबरदस्ती उसकी उक्त जमीन में गोमटी व छप्पर रख रहे थे, उसने जाकर मना किया तो उदल के ललकारने पर कि मारो चमार साले को, चमाइन बनाकर रख दो, इस पर मुल्जिमान उपरोक्त लाठी डण्डा व लात मुक्का से उसको मारे, मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां भी दिये।

38. इस सन्दर्भ में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 द्वारा यह कथन किया गया है कि वह जाति का चमार है। इस मुकदमे के मुल्जिमान उदल, दीनानाथ, मनीराम जाति के पटेल हैं। यह सभी लोग उसके गांव के हैं। आराजी सं0 127/–13 डि0 ग्राम सेहरा में रोड पर स्थित है, उसी जमीन पर उपरोक्त तीनों मुल्जिमान गोमटी व छप्पर रखकर कब्जा करना चाह रहे थे, जब उसे पता चला तो मौके पर गया और जमीन पर कब्जा करने से मना किया, तो उदल ने ललकारा कि मारो साले को, चमाइन बना दो। इसी पर सभी मुल्जिमान लाठी डण्डा, लात मुक्का से मारने लगे, व मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दिये।

39. धारा 504 भा0दं0सं0 का अपराध गठित होने के लिये अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करना व तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभावित

जानते हुये प्रकोपित करना आवश्यक है कि ऐसे प्रकोपन से वह व्यक्ति लोकशांति भंग अथवा कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

40. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 ने अपने साक्ष्य में मात्र यह कथन किया है कि उसने जब जमीन पर कब्जा करने से मना किया, तो उदल ने ललकारा कि मारो साले को, चमाइन बना दो। इसी पर सभी मुल्जिमान लाठी डण्डा, लात मुक्का से मारने लगे, व मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां दिये। इस प्रकार अभियोजन साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं आया है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को प्रकोपित करने के आशय से गालियां दी गयी हों। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अभियुक्तगण द्वारा साशय वादी मुकदमा को अपमानित किया गया और तद्द्वारा उसे इस आशय से यह संभावित जानते हुये प्रकोपित किया गया कि ऐसे प्रकोपन से वह लोकशांति भंग अथवा कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

41. इस सन्दर्भ में विधि निर्णय **CRIMINAL APPEAL No.- 1031 of 2000 Ram Lakhan & Another Vs. State of U.P.**, निर्णय दिनांकित 04.04.2017 सुसंगत है, जिस मामले में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अवधारित किया गया है कि Section 504 IPC comprises of the following ingredients, viz., (a) intentional insult, (b) the insult must be such as to give provocation to the person insulted, and (c) the accused must intend or know that such provocation would cause another to break the public peace or to commit any other offence. The intentional insult must be of such a degree that should provoke a person to break the public peace or to commit any other offence. The person who intentionally insults intending or knowing it to be likely that it will give provocation to any other person and such provocation will cause to break the public peace or to commit any other offence, in such a situation, the ingredients of Section 504 are satisfied. One of the essential elements constituting the offence is that there should have been an act or conduct amounting to intentional insult and the mere fact that the accused abused the complainant, as such, is not sufficient by itself to warrant a conviction under Section 504 I.P.C.

42. विधि निर्णय **Fiona Shrikhande Vs. State of Maharashtra and Anr. (2013) 14 SCC 44** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है।

43. इसी प्रकार अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 506 भा0दं0सं0 के लिये यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक अभित्रास का अपराध कारित किया गया है। आपराधिक अभित्रास की परिभाषा भा0दं0सं0 की धारा 503 में दी गयी है, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति करने की धमकी

उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाये या उसे ऐसे धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाये, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोक कराया जाये, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है। इस प्रकार आपराधिक अभित्रास की परिभाषा के अन्तर्गत धमकी इस आशय से दी जानी चाहिये कि वह पीड़ित को कोई कार्य करने, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध न हो या किसी ऐसे कार्य को न करने, जिसे करने के लिये वह वैध रूप से हकदार हो, की चेतावनी दे। चेतावनी के आशय के बिना केवल धमकी दिया जाना आपराधिक अभित्रास के गठन के लिये पर्याप्त नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में पी0डब्लू–1 द्वारा अपने साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि मुल्जिमान लाठी डण्डा, लात मुक्का से मारने लगे, व मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दिये। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में अभियोजन साक्षी द्वारा इस आशय का कोई कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा दी जाने वाली धमकी से वादी मुकदमा को कोई संत्रास कारित हुआ। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक अभित्रास कारित किया जाना नहीं पाया जाता है।

44. इस सन्दर्भ में विधि निर्णय **Manik Taneja and another vs. State of Karnataka and another 2015 AIR SCW 948** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि It is the intention of the accused that has to be considered in deciding as to whether what he has stated comes within the meaning of criminal intimidation. The threat must be with intention to cause alarm to the complainant to cause that person to do or omit to do any work. Mere expression of any words without any intention to cause alarm would not be sufficient to bring in the application of this section.

45. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना एवं माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 504 व 506 भा0दं0सं0 युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं।

तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं0 (ii) निस्तारित किया जाता है।

<u>अवधार्य बिन्दु सं0</u> (iii) **<u>का निस्तारण–</u>**

46. यह अवधार्य बिन्दु अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा, जो कि अनुसूचित जाति की सदस्य है, का अपमान करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान पर साशय अपमानित किये जाने के संबंध में है।

47. इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा अपने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में यह तथ्य अंकित किया गया है कि वह अनुसूचित जाति के अंतर्गत चमार है एवं अभियुक्तगण जाति के पटेल(सवर्ण) हैं। घटना दिनांक 08.05.2001 को समय करीब 6 बजे सुबह घटना स्थल रामपुर निगोह मार्ग पर आराजी सं0 127/0–13 डि0 है। आराजी सं0

127/0–13 डि0 में उसके गांव के उदल, दीनानाथ व मनीराम जबरदस्ती उसकी उक्त जमीन में गोमटी व छप्पर रख रहे थे, उसने जाकर मना किया तो उदल के ललकारने पर कि मारो चमार साले को, चमाइन बनाकर रख दो, इस पर मुल्जिमान उपरोक्त लाठी डण्डा व लात मुक्का से उसको मारे, मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां भी दिये।

48. इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–1 ने अपने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह जाति का चमार है। इस मुकदमें के मुल्जिमान उदल, दीनानाथ, मनीराम जाति के पटेल हैं। आराजी सं0 127/–13 डि0 ग्राम सेहरा में रोड पर स्थित है, उसी जमीन पर उपरोक्त तीनों मुल्जिमान गोमटी व छप्पर रखकर कब्जा करना चाह रहे थे, जब उसे पता चला तो मौके पर गया और जमीन पर कब्जा करने से मना किया, तो उदल ने ललकारा कि मारो साले को, चमाइन बना दो।

49. विधि निर्णय **हितेश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड और अन्य, (2020) 10 एस0सी0सी0 710** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि इस धारा के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं होता कि पीड़ित/सूचनादाता अनुसूचित जाति का सदस्य है, जब तक कि अभियुक्त का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने का इस कारण से कोई इरादा नहीं है कि पीड़ित ऐसी जाति का है।

50. माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **Pappu Singh Vs State of U.P. [2002(1)JIC 1218(All)]** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

"Chamariya- Use of word- Mere addressing the complainant with the said word. No offence made out simply addressing a person by his caste without any intention to insult or intimidate him."

51. अभियोजन कथनानुसार यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि वादी मुकदमा एवं मुल्जिमानों के मध्य जमीन पर गुमटी आदि रखने को लेकर कथित घटना घटित हुई है। पी0डब्लू0–1 के साक्ष्य से हालांकि अभियुक्तगण द्वारा किसी न किसी प्रकार से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाना दर्शित हेाता है, परन्तु इस साक्षी के साक्ष्य से कत्तई यह प्रकट नहीं होता है कि वादी मुकदमा के अनुसूचित जाति का सदस्य होने मात्र के आधार पर उसके विरूद्ध घटना कारित की गयी है। अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि घटना के केन्द्र में जमीनी विवाद है, और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि पीड़ित अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं होता, तो उसके साथ घटना कारित नहीं की जाती।

52. ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 3 (1) (x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)अधिनियम स्थापित नहीं होता है।

तदनुसार अवधार्य बिन्दु सं0 (iii) निस्तारित किया जाता है।

53. उपरोक्त विवेचन के पश्चात् न्यायालय के मत में अभियुक्तगण उदल पटेल एवं दीनानाथ पटेल के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323/34 भा0दं0सं0 युक्तियुक्त

संदेह से परे साबित है। तदनुसार अभियुक्तगण आरोप अन्तर्गत धारा 323/34 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

54. अभियुक्तगण उदल पटेल एवं दीनानाथ पटेल पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं है। तदनुसार अभियुक्तगण आरोप अन्तर्गत धारा 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण सं0 185/2003, मु0अ0सं0 सी–1/2003, थाना रामपुर, जिला जौनपुर के मामले में अभियुक्तगण उदल पटेल एवं दीनानाथ पटेल को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323/34 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण उदल पटेल एवं दीनानाथ पटेल को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 3 (1) (x) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हैं। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें व व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं व प्रतिभूजन को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। दण्ड के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली बाद लंच पेश हो।

दिनांक–13.03.2026

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।

बाद लंच–

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्तगण उदल पटेल एवं दीनानाथ पटेल न्यायिक अभिरक्षा में अपने अधिवक्ता के साथ समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं। अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हैं।

इस स्तर पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया कि अभियुक्तगण को मात्र धारा 323/34 भा0दं0सं0 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। उनके द्वारा कारित यह प्रथम अपराध है। दोषसिद्धगण को पूर्व में किसी मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। प्रकरण अति प्राचीन है और दोषसिद्धगण विगत कई वर्षों से मामले के विचारण हेतु न्यायालय में उपस्थित आते रहे हैं। दोषसिद्धगण काफी वृद्ध व्यक्ति हैं अतः अभियुक्तगण को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया कि दोषसिद्धगण को धारा 323/34 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया गया है। दोषसिद्धगण को संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार सजा दिए जाने पर बल दिया गया।

उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

मामले के तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, मामले की प्राचीनता तथा अभियुक्तगण की ओर से किये गये कथनों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्धगण को जेल में बिताई गई अवधि व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

विशेष सत्र परीक्षण सं0 185/2003, राज्य बनाम उदल एवं अन्य, थाना रामपुर, जिला जौनपुर के प्रकरण में दोषसिद्धगण उदल पटेल एवं दीनानाथ पटेल प्रत्येक को आरोप अंतर्गत धारा 323/34 भा0दं0सं0 के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि एवं मु0 1,000/–रूपये(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की दशा में प्रत्येक दोषसिद्ध एक–एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा।

निर्णय की एक निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान की जाये।

दिनांक–13.03.2026

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6509

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–13.03.2026

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण)अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6509